न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 59/2015

गोपाल पुत्र श्री भूरा, जाति–गुसाई, ग्राम–चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, फागी ।

रेस्पोडेन्ट,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 10.09.2013 तहसीलदार, फागी बमिसल संख्या 52/2013 उनवानी सरकार बनाम गोपाल पुरी)

उपस्थितः–
1. श्री गोपाल पुरी गोस्वामी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक : 30.07.2019

तहसीलदार, फागी ने अपनी आज्ञा दिनांक 10.09.2013 द्वारा गौपाल पुरी पुत्र श्री भूरा पुरी, जाति–गोस्वामी, निवासी–चकवाड़ा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर को ग्राम–चकवाडा की आराजी खसरा नम्बर 2445 रकबा 12 बीधा में से 01 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन रास्ता भूमि पर बाड़ा बनाकर सम्वत् 2070 में अतिक्रमण करने का दोषी पाये जाने से राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमी को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान राशि 0.04 की 50 गुणा राशि रू0 2/– शास्ति आरोपित कर, आदेश की पालना में पटवारी हल्का को मांग कायमी, बेदखली हेतु लिखे जाने के तथा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के लिए अतिक्रमी गोपाल पुरी पुत्र भूरा पुरी को 90 दिन की सिविल कारावास की सजा के आदेश दिये गये हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोन्डेन्ट जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

Scanned by CamScanner

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री गोपाल पुरी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 10.09.2013 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। मातहत न्यायालय ने अपीलान्ट् को साक्ष्य–सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना और मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर मनमाने तौर पर एकतरफा आज्ञा पारित की है, जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट् का आराजी खसरा नं0 2445 गैर–मुमकीन रास्ता पर कोई अतिचार नहीं है अपीलान्ट्–गैरसायल ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में जवाब पेश किया था कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट्–गैरसायल का वाडा बनाकर न तो कब्जा है और ना ही पहले कभी रहा है, इन तथ्यों से अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी को भी अवगत करा दिया था कि अपीलान्ट्–गैरसायल का आराजी खसरा नं0 2445 गैर–मुमकीन रास्ता की आराजी पर किसी प्रकार का अवैध रूप से अतिचार नहीं है और ना ही पूर्व में कभी इस आराजी पर अतिचार रहा है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस को जारी रखते हुए कथन किया कि समस्त प्रकरण स्थानीय राजनीति से प्रेरित है और राजनैतिक द्वेष भावना से ही आपसी मिली भगत कर अपीलान्ट्–गैरसायल को हैरान एवं परेशान करने की गरज से तथ्यों से परे नोटिस दिया जाकर सिविल कारावास जैसी कठोर कारावास से दण्डित किया है जो विधि के विरूद्ध एवं तथ्यहीन होने से खारिज योग्य है। तहसीलदार ने बिना मौके की जांच किये व बिना तथ्यों की जांच किये मात्र पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर कागजी कार्यवाही है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। पूर्व में किये गये अतिचार के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, न ही पटवारी हल्का के बयान है । पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय की बदनीयती इसी बात से जाहिर होती है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.02.2013 को आराजी खसरा नं0 2482/1 कुल रकबा 108 बीघा 6 बिस्वा गैर मुमकिन तालाब में से 2 बिस्वा आराजी पर गोपाल पुत्र भूरा जाति–गुसाई ने रोडी डालकर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है, इस तथ्यहीन रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, फागी ने किसी अजनबी गोपाल पुत्र नारायण, जाति–बलाई, निवासी–चकवाडा के नाम से दिनांक 08.03.2013 को नोटिस जारी कर अपीलान्ट् के भतीजे ओम प्रकाश से तामील करवाकर दिनांक 22.03.2013 को तहसील कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। गलत नोटिस के आधार पर

Scanned by CamScanner

भी अपीलान्ट्–गैरसायल ने न्यायालय की गरीमा को ध्यान में रखकर न्यायालय में उपस्थित होकर यह जाहिर किया की अपीलान्ट्–गैरसायल का किसी गैर मुमकिन तालाबी जमीन पर अतिचार नही है बल्कि गांव के कुछ असामाजिक तत्वों के कहने पर पटवारी हल्का चकवाडा ने तथ्यहीन रिपोर्ट की है। अतः अपीलान्ट–गैरसायल द्वारा प्रस्तुत किये जवाब का अवलोकन किये बिना व बिना मौके की जॉच किये, मौके से अन्यत्र कागजी खाना–पूर्ति कर अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 2445 पर अतिचार बता दिया गया वास्तविक त्रुटि पटवारी हल्का ने की है और उसकी गहराई से बिना जांच पड़ताल किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आज्ञा पारित की है जो विधि–विरूद्व होने से निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट–गैरसायल को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना जाहिर कर सिविल कारावास की सजा दी है जबकि इस सम्बन्ध में ऐसे कोई तथ्य पत्रावली पर नही है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में कब अतिचार किया, कब्जा किस प्रकार किया एवं किससे अर्थात् मकान, बाड़ा बनाकर अथवा काश्तकर कब्जा किया हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध अतिचार की कार्यवाही कब की और पूर्व में कब अपीलान्ट को बेदखल किया गया। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह प्रकट करते हो कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में विवादग्रस्त आराजी पर अतिचार किया गया हो और तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये गये हो और अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो समस्त कार्यवाही फौरी तौर पर कागजी कार्यवाही कर सिविल कारावास जैसा कठोर दण्ड अपीलान्ट को तथ्यों व बिना किसी आधार के दिया गया है जो निरस्तनीय है अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 10.09.2013 निरस्त फरमाई जावें ।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्–गैरसायल को विधि–पूर्ण तरीके से नोटिस दिया गया हैं। नोटिस अपीलान्ट की पत्नी ने प्राप्त किया है। अपीलान्ट् ने अधीनस्थ न्यायालय में मात्र यह जाहिर किया है कि उसका वादग्रस्त आराजी पर न तो कभी पूर्व में कब्जा रहा है और न ही वर्तमान में कब्जा है। मौके पर अतिचार था अतिचार की रिपोर्ट करने के लिऐ पटवारी हल्का अधिकृत है और अधिकृत कार्मिक द्वारा पूर्व व पश्चात्वर्ती अतिचार की रिपोर्ट की है । अपीलान्ट् बार–बार अतिचार किये जाने का दोषी हैं। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे।

Scanned by CamScanner

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का दि. 02.08.2013 में विवादग्रस्त आराजी गैर–मुमकीन रास्ता होना दर्ज है और इस तथ्य पर कोई विरोधाभाष नही है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट–गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह जाहिर किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर उसका अतिचार न तो पूर्व में रहा है और न ही वर्तमान में है, अपीलांट –गैरसायल द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से परीक्षण नहीं किया गया है मात्र यह अंकित करते हुऐ कि न्यायालय अतिक्रमी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानता है, बैदखली आदि की सजा दी है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2013 के केफियत कॉलम में अतिक्रमी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना अंकित किया हैं परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व में किस सम्वत् व किस फसल में कौनसा अतिचार किये जाने के परिणामस्वरूप कौनसा प्रकरण दर्ज किया गया और सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश किस पत्रावली संख्या/उनवान में कब दिये गये और किन आदेशों की पालना में वेदखल किया गया। पूर्व में बेदखल किये जाने के समर्थन में पटवारी हल्का के बयान भी लिये जाना पत्रावली पर जाहिर नहीं होता हैं। अतः पश्चात्वर्ती अतिचार को भी दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता है अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से पश्चातवर्ती अतिचार सिद्ध न होने से सिविल कारावास जैसी कठोर दण्ड की आज्ञा को न्याय–संगत नहीं पाते हैं। उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाती हैं और अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 10.09.2013 निरस्त की जाती है। प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट–गैरसायल द्वारा प्रस्तुत किये गऐ जवाब के परिपेक्ष्य में तथ्यों की दस्तावेजो के आधार पर जॉच कर व मौके की जॉच कर तथा अपीलान्ट गैर–सायल को सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्याय–संगत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुरुषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner